


न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.


सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का गातारी वनाम हरमुख/खाना जाटव गातारी
 प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 प्रकृत धारा प्रकृत

प्रकरण संख्या :- RA/13/2018

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गातारी
 की आ.ख.न. 123 कुल रकबा 0.73 किसम जमीन गोमुराता में से 0-06
 रकबा पर भी हरमुख/खाना जाटव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
पटवारी काज्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का गातारी द्वारा दिनांक 4/6/18
तासवदीनर को उसके विरुद्ध यगचूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तारीख
 भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर अतिक्रमी हरमुख/खाना जाटव जाति जाटव निवासी गातारी को भू.
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
 उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
 उक्त रकबा आ.ख.न. 123 रकबा 0.73 में से 0.06
 रकबा किसम गोमुराता है जो नियमन के योग्य नहीं है बिहाजा कॅरसायम को अतिक्रमित
 रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं टण्ड स्वरूप लगान 56 Pais का
 50 गुणा 28/7 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
दरौदा को लिखा जाकर बाद तकगील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।


तहसीलदार
 तहसीलदार, अलवर (राज.)
 कठुमार, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह.
 दा. न. क. क. क. 40 पत्र 2
 नं. 2018-19 कायमी रकबा 28/7
 की कायमी की का

 कठुमार, अलवर (राज.)
 कठुमार